रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2003/फाल्गुन 27, 1924
No. 255] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2003/PHALGUNA 27, 1924

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2003

का.आ. 304(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 721(अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 1996 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि, जहां तक पंजाब राज्य वक्फ बोर्ड का संबंध है, जैसा कि यह नवम्बर, 1966 के प्रथम दिवस से तत्काल पहले विद्यमान था उन क्षेत्रों के संबंध में एक अंतर्राज्यीय निकाय कॉरपोरेट के रूप में कार्य करता रहेगा जिनके बारे में उक्त अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उस तारीख के तत्काल पहले यह कार्य कर रहा था। वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के निम्नलिखित उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियां केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उप-धारा (1)(3) और (6)
धारा 13 की उप-धारा (1) और (2)
धारा 14 की उप-धारा (1) से (6) और (9)
धारा 19
धारा 20 की उप-धारा (1)
धारा 21
धारा 23 की उप-धारा (1) और (2)
धारा 24(1) की उप-धारा (1)
धारा 45 की उप-धारा (5)
धारा 47 की उप-धारा (1)(बी) और (1) (सी) और उप-धारा (3)
धारा 65 की उप-धारा (2),(3) और (4)
धारा 66
धारा 75 की उप-धारा (1)
धारा 78 की उप-धारा (1)से (4)
धारा 80 की उप-धारा (1) और (2)
धारा 81
धारा 97

धारा 98
धारा 99 की उप-धारा (1) से (3)
धारा 102 की उप-धारा (1) से (6)
धारा 103 की उप-धारा (1)
धारा 109; और
धारा 110

[फा. सं. 4(25)/96-वक्फ]
सपना राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2003

S.O. 304(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Welfare number S.O. 721(E) dated, the 17th October, 1996, the Central Government hereby directs that so long as the Board of Wakfs for the State of Punjab, as it existed immediately before the first day of November, 1966, continues to function and operate as an inter-state body corporate in the areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that date under sub-section (1) of Section 72 of the said Act, the powers of the State Government under the following provisions of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995) shall be exercisable by the Central Government, namely :—

Sub-section (1)(3) and (6) of section 4
Sub-section (1) and (2) of section 13
Sub-section (1) to (6) and (9) of section 14
Section 19
Sub-section (1) of section 20
Section 21
Sub-sections (1) and (2) of section 23
Sub-section (1) of section 24
Sub-section (5) of section 45
Sub-section (1)(b) and (1)(c) and Sub-section (3) of section 47
Sub-section (2), (3) and (4) of section 65
Section 66
Sub-section (1) of section 75
Sub-sections (1) to (4) of section 78
Sub-sections (1) and (2) of section 80
Section 81
Section 97
Section 98
Sub-sections (1) to (3) of section 99
Sub-sections (1) to (6) of section 102
Sub-section (1) of section 103
Section 109 and
Section 110

[F. No. 4(25)/96-Wakf]
SWAPNA RAY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India .Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.